न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.....बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मु. नं०.....वर्ष.....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18-3-19	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित भूमि के सहकाश्तकार है एवं कुछ भूमि अपीलांट ने सन 1997 में बही में लिखावट करवाकर क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। इसी भूमि को खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा बिना कब्जे के रेस्पोडेंट संख्या 04 को विक्रय कर दिया। इस पर अपीलांट द्वारा दावा व टीआई पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने इस पर विचार किये बिना स्थगन पर कोई आदेश दिये बिना पत्रावली तलबी में रख दी है। इससे अपीलांट के हितो पर विपरित प्रभाव पड़ता है। अत स्थगन जारी किया जावें। प्रकरण के तथ्यो को एवं अपीलांट के कथनो को मध्य नजर रखते हुये वाके ग्राम बडाउ तहसील खेतडी की भूमि खसरा नम्बर 909,1289, 1317,2383/1162,867,1312,1316,2240/1756 के सन्दर्भ में उभयपक्ष को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि शीघ्रताशीघ्र पक्षकारों को सुनकर टी. आई. आवेदन गुणावगुण पर निस्तारित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमिल दाखिल दफतर हो। 18/3/19	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर